

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 के अन्तर्गत महत्वपूर्ण जानकारी।

देय खाद्यान्न की मात्रा एवं मूल्य :-

- अन्त्योदय अन्य योजना - 20 कि०ग्रा० गेहूँ तथा 15 कि०ग्रा० चावल प्रतिमाह प्रति कार्ड।
- पात्र गृहस्थी योजना - 03 कि०ग्रा० गेहूँ तथा 02 कि०ग्रा० चावल कुल 05 कि०ग्रा० प्रतिमाह खाद्यान्न प्रति यूनिट।
- उपरोक्त दोनों योजनाओं पर गेहूँ रु०-02 प्रति कि०ग्रा० तथा चावल रु०-03 कि०ग्रा० की दर से देय।

खाद्यान्न प्राप्त न होने की स्थिति में :-

- कार्ड धारक विभागीय टोल फ्री नम्बर 1800-1800-150 अथवा 1967 पर अपनी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।
- जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी एवं जिला पूर्ति अधिकारी के समक्ष शिकायत की जा सकती है।
- जनपद स्तर पर जिला शिकायत निवारण अधिकारी अर्थात् नामित अपर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष हकदारी अथवा खाद्य सुरक्षा भत्ते प्राप्त किये जाने हेतु शिकायत की जा सकती है।



खाद्य तथा रसद विभाग
उत्तर प्रदेश शासन
जनपद : लखनऊ

राशन कार्ड क्रमांक : 215740346546
टाउन : LUCKNOW
मुखिया का नाम : उमरानी
पिता / पति का नाम : हरी ओम यादव
श्रेणी/जाति :
निवास का पता : LUDHAUSI, MALIHABAD
Lucknow - 227107
आधार /इनरोलमेंट नं० : XXXX XXXX
गैस ग्राहक कनेक्शन सं० :
गैस एजेंसी का नाम :
उचित दर दुकान : Shiv Kumar
यूनिटों का विवरण : 6 (Six)

दिनांक : 01-06-2024

Digitally Signed By

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम - २० के अन्तर्गत डिजिटली हस्ताक्षरित राशन कार्ड
IT Solution Provided By: National Informatics Centre(NIC), UP. Print at :

परिवार की सदस्यों की सूची

क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम (हिंदी में)	मुखिया से सम्बन्ध
1	उमरानी	महावीर	स्वयं
2	हरी ओम यादव	भगवान दीन	सौहर / पति
3	अभय नंदन यादव	हरी ओम यादव	बेटा
4	श्री नंदन यादव	हरी ओम यादव	बेटा
5	राज नंदन यादव	हरी ओम यादव	बेटा
6	ज्योतिषी यादव	हरी ओम यादव	बेटी